छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–5/खाद्य/2016/29/4197 रायपुर, दिनांक 30 सितंबर, 2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन विषयक ।

राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एवं निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों (Uniform specifications) के अनुसार प्रदेश के किसानों से धान एवं मक्का का उपार्जन किये जाने का निर्णय लिया गया है । खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में धान एवं मक्का उपार्जन की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. **समर्थन मूल्य** –

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) के धान एवं मक्का के लिए निर्धारित निम्नानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जावे –

धान कॉमन	–	रूपए 1470 प्रति क्विंटल
धान ग्रेड ए	–	रूपए 1510 प्रति क्विंटल
मक्का	–	रूपए 1365 प्रति क्विंटल

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु धान, मक्का एवं चावल के लिए निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों की छायाप्रति **परिशिष्ट– 1** पर संलग्न है ।

2. **उपार्जन की समयावधि** –

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के दौरान समर्थन मूल्य योजनांतर्गत राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 15 नवंबर, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 15 नवंबर, 2016 से 31 मई, 2017 तक की जावेगी ।

3. **प्रति एकड़ धान खरीदी निर्धारण** –

खरीफ वर्ष 2016–17 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है ।

4. उपार्जन एजेंसी –

4.1. राज्य के समस्त जिलों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जावेगा ।

4.2. समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी। प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।

4.3. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।

4.4. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस को छोड़कर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा मक्का की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा ।

4.5. खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में धान की खरीदी विगत खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में संचालित 1982 खरीदी केन्द्रों तथा इस वर्ष खोले गये 4 नवीन धान खरीदी केन्द्रों रूद्रारम (जिला बीजापुर), शब्दमुंडा (जिला जशपुर), बिजली (जिला नारायणपुर) एवं बड़ेमारेंगा (जिला बस्तर) में की जाएगी ।

4.6. प्रदेश में स्थापित 69 मंडी एवं 118 उपमंडी में से 42 मंडियों एवं 73 उपमंडियों के प्रांगण का उपयोग धान उपार्जन केन्द्र हेतु किया जाए । इसके अतिरिक्त संलग्न **परिशिष्ट–2** में उल्लेखित 17 मंडियों एवं 24 उपमंडियों के प्रांगण में धान उपार्जन केन्द्र खोलने हेतु उपयुक्तता के संबंध में जिला कलेक्टर अपना प्रतिवेदन दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 तक उपलब्ध करावें ।

4.7. राज्य की मंडियों को नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा ।

5. उपार्जन की अनुमानित मात्रा –

खरीफ वर्ष 2016–17 में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 65 लाख टन धान एवं 10,000 मेट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित है । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है ।

6. **साख–सीमा की व्यवस्था –**

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु आवश्यक साख–सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जावेगी ।

7. **उपार्जन की प्रकिया –**

7.1. खरीफ वर्ष 2015–16 की भांति खरीफ वर्ष 2016–17 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का विक्रय किया जा सकेगा । इस हेतु संबंधित गांव को उस समिति के धान उपार्जन केन्द्र के साथ साफ्टवेयर में जोड़ा जाना आवश्यक होगा जिसमें उन्हें धान विक्रय की अनुमति दी जानी है । अतः आपके जिले के जिन गांवों को निकटस्थ उपार्जन केन्द्रों से जोड़ा जाना है, इसकी कार्यवाही दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 के पूर्व पूर्ण कर ली जाए तथा सभी ग्रामों में इसका प्रचार–प्रसार कर दिया जाये ।

7.2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान एवं मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया जावेगा तथा क्रय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा । अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी किसानों के पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध हो, यदि किसी किसान की ऋण पुस्तिका बैंक/अन्य संस्थाओं के पास रखी हो तो उसे डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई जावे ।

7.3. अधिया/रेगहा के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों द्वारा भूमि की ऋण पुस्तिका लानी होगी तथा उसमें इन्द्राज किया जाएगा । इसके साथ ही स्वंय का वचन पत्र तथा भूमि स्वामी का सहमति पत्र भी उपार्जन केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा । सभी खरीदी केन्द्रों में ऐसी खरीदी के आंकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जावे ।

7.4. समितियों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक (शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर) धान खरीदी की जायेगी तथा प्रत्येक शनिवार को क्रय किये गये धान की मात्रा, बारदानों का उपयोग तथा समिति को धान उपार्जन हेतु प्राप्त राशि के व्यय की पुष्टि धान खरीदी सॉफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा ।

7.5. प्रदेश में बीज उत्पादक कृषकों का बीज, बीज निगम द्वारा उपार्जित करने हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था से धान बीज की शुद्धता एवं अंकुरण की जांच/परीक्षण करायी जाती है । उक्त जांच/परीक्षण में जिन कृषकों के बीज फेल हो जाते हैं, उसे औसत अच्छे किस्म का होने पर समर्थन मूल्य पर क्रय किया जावेगा । चूँकि परीक्षण के कार्य में समय लगता है, इसलिए धान

बीज का समर्थन मूल्य पर चिन्हाँकित खरीदी केन्द्रों में इन किसानों से बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर उपार्जन दिनांक 01.03.2017 से 30.04.2017 तक किया जावे ।

7.6. लिकिंग योजना के अंतर्गत विगत खरीफ वर्ष की भांति खरीफ वर्ष 2016–17 में भी मात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिकिंग योजना के अंतर्गत धान का क्रय किया जा सकेगा ।

7.7. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लेनदारों की सूची व अवशेष ऋण का इंद्राज कम्प्यूटर में किया जाए । संबंधित किसान द्वारा धान की उपज उपार्जन केन्द्र में लाये जाने पर उसके द्वारा लायी गई कुल उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत ही लिकिंग में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु खरीदा जा सकता है ।

7.8. विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या मार्कफेड द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे ।

7.9. खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु किसानों को टोकन जारी कर धान की खरीदी की जावे । धान खरीदी अवधि का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि किसान उक्त अवधि के दौरान अपना धान लाकर धान विक्रय कर सके । धान खरीदी के अंतिम दिन पर्ची जारी नहीं की जावे । धान खरीदी के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक जो धान खरीदी केन्द्र में विक्रय हेतु आयेगा उसे उसी दिन तौल कर खरीदी की जावेगी ।

8. <u>बारदानों की व्यवस्था</u> –

8.1. धान की भरती हेतु आवश्यक जूट बारदाने डी.जी.एस.एण्ड.डी. से क्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराये जावेंगे । मिलर के पास खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 एवं खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के मिलिंग पश्चात शेष उपलब्ध एक भरती जूट बारदाने का आवश्यकतानुसार उपयोग धान खरीदी हेतु किया जाएगा, आवश्यकता का निर्धारण प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा किया जाएगा । एक भरती बारदाना के उपयोग के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–5/खाद्य/2016/29–2/2902 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में दिये गये निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

8.2. समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा छत्तीसगढ़

स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को मांग अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 या खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के एक भरती बारदाना उपलब्ध कराया जावेगा, जिसकी राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जावेगा ।

8.3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्रय बारदानों की प्राप्ति निर्धारित रेक पाइंट एवं सड़क मार्ग पर की जाकर उसे धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाने की समस्त व्यवस्था की जावेगी ।

8.4. संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जिलों में बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर्स सतत निगरानी रखेंगे, ताकि धान उपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।

8.5. धान उपार्जन हेतु डी.जी.एस. एण्ड डी. से क्रय कर प्रदाय किए गए नये बारदानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए एवं निम्न गुणवत्ता के बारदाने किसी भी गठान में पाए जाने पर तत्काल विभाग एवं प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अवगत कराया जाए, ताकि प्रदाय एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके । निम्न गुणवत्ता के बारदानों का उपयोग नहीं किया जाए । इन्हें अलग से रख लिया जाए जिससे निम्न गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय एजेंसी को वापस किए जा सकें ।

8.6. जिले में यदि पुराने बारदाने उपलब्ध हों तो उन्हें अलग से भण्डारित किया जाए एवं नए बारदानों को अलग गोदामों में भंडारित किया जाए, ताकि दोनों प्रकार के बारदानों की संख्या एवं लेखों का पृथक रूप से संधारण हो सके । मार्कफेड द्वारा पुराने बारदानों का पहले उपयोग सुनिश्चित किया जाए ।

8.7. समितियों में धान उपार्जन हेतु प्रयुक्त बारदानों पर समिति का नाम, पंजीयन नंबर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रूप से की जावे । यह कार्य समितियों को उपलब्ध कराये जा रहे प्रासंगिक व्यय में से स्थानीय स्तर पर की जावे । इससे समितियों द्वारा उपार्जित धान की मात्रा, किस्म एवं गुणवत्ता की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी ।

8.8. खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में मिलर्स से प्राप्त एक भरती बारदाने का आवश्यकतानुसार उपयोग धान खरीदी हेतु किया जा सकेगा । जिलेवार बारदाने की मात्रा शासन द्वारा मार्कफेड के प्रस्ताव के आधार पर तय की जावेगी । भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र क्रमांक 15(8)/2004–PY.III दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार बारदाना मिलर्स से प्राप्त किया जावे । उक्त पत्र की छायाप्रति **परिशिष्ट–4** पर संलग्न है ।

8.9. किसानों से धान क्रय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये अथवा एक भरती) का धान उपार्जन हेतु उपयोग किया जा रहा है अथवा मिलर अथवा परिवहनकर्ता को धान प्रदाय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये अथवा एक भरती) जारी किये जा रहे हैं, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में की जावे । समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान बारदाने के स्टॉक सही नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावे ।

8.10. बारदाने की गुणवत्ता एवं विभिन्न स्तर पर बारदाने का रिकार्ड संधारण हेतु मार्कफेड द्वारा निर्देश जारी किया जाए एवं विभाग को सूचित किया जाए ।

9. <u>उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था</u> –

9.1. खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में पंजीकृत किसानों से ही धान का उपार्जन किया जाएगा । खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन कराने के संबंध में विस्तृत निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 02 अगस्त, 2016 एवं 04 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व में जारी किये गये हैं, तदनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

9.2. कृषकों को विक्रय किये गये धान की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर किया जायेगा । दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 तक यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सभी कृषकों के खाते खुल जायें तथा बैंक खातों की जानकारी की प्रविष्टि किसान डेटाबेस में कर ली जावे ।

9.3. सहकारी समितियों को दी जाने वाली राशि यदि मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति के बैंक खाते में सीधे दी जाना हो तो कलेक्टर द्वारा समितियों के खाते की जानकारी सहित प्रस्ताव प्रबंध संचालक, मार्कफेड को दिनांक 10.10.2016 तक उपलब्ध कराया जावे, ताकि समितियों को राशि अंतरित की जा सके ।

9.4. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2016–17 हेतु धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य, खरीदी अवधि एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके ।

9.5. सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान एवं मक्का के घोषित समर्थन मूल्य, खरीदी अवधि के बैनर के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों को भी प्रदर्शित किया जावे ।

9.6. धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों के कांटे–बांट तथा जिलों के संग्रहण केन्द्रों एवं चावल उपार्जन गोदामों के धरमकांटो का सत्यापन नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा सुनिश्चित किया जाए । साथ ही धान खरीदी के दौरान आकस्मिक रूप से उपार्जन केन्द्रों के कांटे–बांट का सत्यापन कराया जाए ।

9.7. धान एवं मक्का उपार्जन हेतु केन्द्र का चिन्हांकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि नीची अथवा गड्ढे वाली न हो अपितु आस–पास के स्थल से पर्याप्त रूप से ऊंचा स्थान हो जिससे आकस्मिक वर्षा की स्थिति में संग्रहित धान के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो । उपार्जन केन्द्र स्तर पर धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर,

डनेज सामग्री/ सीमेंट ब्लॉक/ फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध होना चाहिए । उपरोक्त हेतु मार्कफेड द्वारा अग्रिम में राशि समितियों को प्रदाय किया जावे ।

9.8. धान खरीदी केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही धान लाये जाने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे । खरीफ वर्ष 2016–17 में प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के लिये नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखे जावे। आर्द्रतामापी यंत्र के उपयोग हेतु समिति प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिलाया जावे । सभी खरीदी केन्द्रो में आर्द्रतामापी यंत्र चालू अवस्था में होनी चाहिए । आर्द्रतामापी यंत्र का कैलीब्रेशन दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक करा लिया जावे । जिन स्थानों पर आर्द्रतामापी यंत्र उपयोग योग्य नहीं है, वहां समिति द्वारा नये आर्द्रतामापी यंत्र की व्यवस्था की जावे । अपैक्स बैंक द्वारा आर्द्रतामापी यंत्र के संबंध में भारतीय खाद्य निगम से संपर्क कर मापदण्ड प्राप्त किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में नमी की जांच कर किसानों को आवश्यक समझाईश दी जावे । किसी भी स्थिति में 17 % से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे । एन.आई.सी. के द्वारा समितियों में धान की आर्द्रता एंट्री हेतु प्रावधान किया जावे ।

9.9. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे ।

9.10. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का के किस्मवार सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जावे।

9.11. प्रत्येक गांव में धान एवं मक्का के बोवाई रकबे के साथ–साथ उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित किया जावे ।

9.12. धान एवं मक्का की खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में धान की भरती तथा तुलाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदानों, कांटे–बांट इत्यादि की व्यवस्था की जावे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जावे ताकि धान उपार्जन के कार्य में सुगमता बनी रहे । विशेषकर खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में प्रारंभ किये जाने वाले नये उपार्जन केन्द्रों में उपरोक्त व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जावे तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराकर इसकी पुष्टि करा ली जावे ।

10. <u>उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण</u> –

10.1. खरीफ वर्ष 2015–16 की भांति खरीफ वर्ष 2016–17 में भी धान उपार्जन एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराई जावे –

10.1.1. विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु प्रयुक्त किए गए कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. का परीक्षण करा लिया जाए एवं यदि कोई उपकरण चालू हालत में न हो तो तत्काल उसमें सुधार करा लिया जाए । ये सभी उपकरण चालू हालत में हैं एवं कम्प्यूटर के इंस्टालेशन का कार्य उपार्जन केन्द्र में किया जा चुका है, इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित सहकारी समिति के प्रंबंधक से प्राप्त किया जाए । जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों की कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. की ओ.के. रिपोर्ट प्रबंध संचालक, मार्कफेड को 15 अक्टूबर, 2016 तक प्रस्तुत की जाए । उपार्जन केन्द्रों में वर्ष 2016–17 के लिए साफ्टवेयर को अपलोड करने के संबंध में समस्त कार्यों हेतु आवश्यक निर्देश विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जायेंगे ।

10.1.2. धान उपार्जन केन्द्र, जहां वास्तविक रूप में धान खरीदी का कार्य होता है, उस स्थान पर ही कम्प्यूटर स्थापित किया जावे ताकि किसान को भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो एवं धान खरीदी कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बना रहे ।

10.1.3. कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं मोटर साईकल रनर्स का रिजर्व पूल आवश्यकतानुसार रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके ।

10.2. खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में जिन खरीदी केन्द्रों में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध है वहां पर ऑनलाईन धान की खरीदी की जाए । इससे धान के लिये राशि एवं बारदाने की व्यवस्था तथा धान के निराकरण में जानकारियों के त्वरित आदान–प्रदान होने के कारण सुविधा होगी। इंटरनेट कनेक्टीविटी हेतु आवश्यक राशि मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय मद की राशि से समितियों को आवश्यकतानुसार अग्रिम में प्रदान की जावे ।

10.2.1. कम्प्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में विगत वर्षों की भांति मेनुअल धान खरीदी का प्रस्ताव तत्काल प्रबंध संचालक, मार्कफेड को फैक्स के माध्यम से प्रेषित किया जाए । प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा एक बार में अधिकतम 03 दिवस के लिए मेनुअल धान खरीदी की अनुमति दी जा सकेगी । विगत वर्ष के निर्देशानुसार मेनुअल धान खरीदी के रिकार्ड संबंधित सहकारी समिति द्वारा रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर के ठीक होने के उपरांत इसकी एन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी । मेनुअल खरीदी के दौरान संबंधित

उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र को धान प्रदाय किया जाएगा एवं राईस मिलर्स को धान प्रदाय नहीं किया जाएगा । किसी भी समिति द्वारा संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान 10 दिवस से अधिक समय तक मेनुअल खरीदी किए जाने की स्थिति में अगले वर्ष धान उपार्जन उस समिति में नहीं की जावेगी ।

10.2.2. मेनुअल धान खरीदी के लिए आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा पूर्व से करा ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धान उपार्जन केन्द्रों को प्रदाय किया जा सके ।

10.2.3. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु 9 माह के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सहकारी समिति द्वारा एवं इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2.4. ऑफलाईन उपार्जन केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार रनर्स की नियुक्ति मार्कफेड द्वारा की जावे । मोटर साईकल रनर्स द्वारा प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर का डेटा प्राप्त करके विकासखण्ड मुख्यालय पर लाकर विकासखण्ड मुख्यालय से डेटा एन.आई.सी. के माध्यम से इंटरनेट पर दर्ज किया जाएगा । इसी प्रकार एन.आई.सी. के सर्वर से इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त कर धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर में भी पहुंचायेंगे । अतः आप अपने जिले में ऐसे मोटर साईकल रनर्स की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं उपार्जन केन्द्रों के संलग्नीकरण की कार्यवाही मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करावें ।

10.2.5. ऑनलाईन खरीदी केन्द्रों का डेटा नियमित अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये । सभी उपार्जन केन्द्रों का अद्यतन डाटा अपलोड करना जिले के खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक व जिला विपणन अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । समिति का डेटा 72 घंटे के अंदर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति कंडिका 14 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

10.2.6. विकासखण्ड मुख्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के व्ही.सेट को पूरी धान खरीदी अवधि के दौरान कार्यशील अवस्था में बनाए रखने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही समय रहते हुए पूर्ण कर ली जावे ।

10.2.7. खरीफ वर्ष 2016–17 के दौरान मार्कफेड के सभी धान संग्रहण केन्द्रों में धान की प्राप्ति एवं प्रदाय की व्यवस्था पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं वेब–बेस्ड होगी । धान के संग्रहण हेतु मार्कफेड द्वारा चिन्हांकित स्थलों में कम्प्यूटर के संचालन हेतु कक्ष निर्माण तथा व्ही.सेट की स्थापना हेतु पक्के चबूतरों के निर्माण संबंधी कार्य शीघ्र संपादित कर लिया जावे । मार्कफेड द्वारा संग्रहण केन्द्र में इंटरनेट की कनेक्टीविटी हेतु आधुनिक संचार सुविधाओं का आवश्यकतानुसार उपयोग

सुनिश्चित किया जाए । खरीफ वर्ष 2016–17 में प्रारंभ होने वाले नए संग्रहण केन्द्र में यह कार्य समयानुसार पूर्ण कर लिया जावे ।

10.2.8. जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे। कस्टम मिलिंग कम्प्यूटराईजशेन से संबंधित समस्त प्रकिया की जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं ।

10.2.9. धान के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2016–17 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जावे । कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

10.2.10. धान खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन जिले के प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र में दिनांक 7 नवंबर, 2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 9 नवंबर, 2016 तक चलेगा । इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केन्द्र इसमें भाग नहीं लेंगे वे कंडिका 14 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिनांक 05 नवंबर, 2016 के पूर्व पूर्ण हो जाए, और सभी केन्द्र इस ट्रायल रन में भाग लें ।

11. <u>उपार्जन के अन्य बिन्दुओं का प्रशिक्षण</u> –

11.1. धान एवं मक्का खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक है कि निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता के धान व मक्का की खरीदी एवं चावल उपार्जन हेतु की गई कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, राज्य भण्डार गृह निगम, खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनर्स को संभागवार प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एन.आई.सी. द्वारा दिया जावे । मार्कफेड द्वारा कलेक्टर एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से चर्चा कर संभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर आयोजित किया जावे । संभागवार प्रशिक्षण का कार्य दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जावे ।

11.2. मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अनुविभाग स्तर पर सहकारी समितियों से दो व्यक्तियों अर्थात समिति के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी एवं समिति प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के निरीक्षकों एवं पटवारियों को निर्धारित गुणवत्ता के धान की खरीदी एवं संबंधित अभिलेखों के समुचित रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण दिया जावे ।

अनुविभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्टर द्वारा तैयार किया जावे । अनुविभागवार प्रशिक्षण का कार्य दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण किया जावे ।

12. <u>गुणवत्ता</u> –

12.1. उपार्जन एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुसार **(<u>परिशिष्ट–1</u>)** औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) का धान एवं मक्का क्रय किया जावेगा।

12.2. एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का का क्रय सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में संग्रहण केन्द्र स्तर एवं समिति स्तर पर निम्न समितियों का गठन किया जावे –

12.2.1. जिले में प्रत्येक संग्रहण केन्द्र स्तर पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया जावे, जिसमें खाद्य, विपणन संघ, जिला सहकारी बैंक, मंडी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी सम्मिलित हों । उक्त दल के द्वारा संग्रहण केन्द्र से संबंधित समितियों में धान एवं मक्का खरीदी व्यवस्था की निगरानी की जावेगी एवं समिति/संग्रहण केन्द्र स्तर पर धान की गुणवत्ता संबंधी विवादों का निराकरण किया जावेगा। संग्रहण केन्द्र प्रभारी समिति द्वारा भेजे गये धान को अमानक करने हेतु स्वयं अधिकृत नहीं होंगे । संग्रहण केन्द्र में तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा निरीक्षण कर विनिश्चय करने पर ही धान रिजेक्ट किया जायेगा। धान रिजेक्ट होने पर या तो समिति द्वारा धान वापस ले जाया जायेगा तथा स्पेशीफिकेशन के अनुरूप साफ/परिवर्तित कर विपणन संघ को प्रदाय किया जायेगा ।

12.2.2. सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे –

1. सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि
4. मा. प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राईस मिलर न हो)

12.2.3. उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान एवं मक्का पंजीकृत किसानों से ही क्रय किया जाए ।

12.2.4. जिले में संग्रहण केन्द्र एवं समिति स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से 05 नवंबर, 2016 तक उपलब्ध कराया जावे ।

13. भुगतान व्यवस्था –

13.1 किसानों को धान की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर ही किया जाये । अंतरण के प्रमाण स्वरूप कृषकों को निर्धारित प्रारूप में उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे ।

13.2 धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अतः उनकी साख सीमा गत वर्ष की तरह पांच लाख रूपए निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे ।

13.3 जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान आता है उन समितियों के खाते वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी खोले जावें, जिससे किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान के भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

13.4 समर्थन मूल्य पर खरीदे गए मक्का हेतु किसानों को राशि का भुगतान किसानों के खाते में राशि अंतरण कर ही किया जावे ।

13.5 मार्कफेड द्वारा धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे ।

13.6 मार्कफेड द्वारा खरीदी अवधि के दौरान धान उपार्जन हेतु धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा । समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी ।

13.7 प्रासंगिक व्यय व धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय के मद में प्रदाय की गई अग्रिम राशियों का समायोजन समिति द्वारा उक्त मदों में वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा तथा अव्ययित राशि को कमीशन की राशि से समायोजित किया जाएगा ।

14. समिति को इन्सेंटिव प्रदान करना –

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में ऐसी समितियों को प्रोत्साहन राशि (इन्सेंटिव) प्रदाय किया जावे, जिनमें :–

1. समिति में शॉर्टेज/कमी की मात्रा निरंक हो तथा
2. समिति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी हो।

समितियों एवं उनके कर्मचारियों को इन्सेंटिव के रूप में 4 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि (2 रू. समिति हेतु एवं 2 रू. समिति द्वारा धान खरीदी कार्य में नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु) प्रदाय की जावेगी । उपरोक्त हेतु राशि की व्यवस्था मार्कफेड को धान उपार्जन में प्राप्त होने वाली प्रशासनिक व्यय से की जावेगी ।

15. भण्डारण व्यवस्था –

15.1 धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन, आवश्यक डनेज मटेरियल एवं कैप कव्हर्स आदि की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जावेगा । धान को खुले में कैप कव्हर में भण्डारित करने के लिए विगत खरीफ विपणन वर्ष में क्रय किए गए कैप कव्हर्स, सीमेंट ब्लॉक, चटाई, पॉलीथीन आदि का (जो अच्छी हालत में हो) उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार डनेज सामग्री एवं कैप कव्हर मार्कफेड द्वारा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।

15.2 संग्रहण केन्द्रों में खरीदी केन्द्रों से आने वाले धान की नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखा जाये । आर्द्रतामापी यंत्र का दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक कैलीब्रेशन करा लिया जाये ।

15.3 मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों में यथासंभव मार्कफेड द्वारा धरमकांटा लगवाने की व्यवस्था की जाए ।

15.4 खरीफ वर्ष 2016–17 में प्रारंभ किये जाने वाले नये धान संग्रहण केन्द्रों में भी धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जावे ।

15.5 संग्रहण केन्द्रों में खरीदी अवधि के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे जो समिति से आने वाले धान के तौल, पावती प्रदाय, धान की गुणवत्ता, बारदाना में छपाई आदि व्यवस्था की निगरानी करेगा ।

15.6 मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे ।

15.7 खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में विगत वर्षों में कुछ जिलों में मिलिंग/भण्डारण की परेशानी को देखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु एवं उपलब्ध मिलिंग क्षमता के उपयोग हेतु कुछ जिलों में उपार्जित धान की कुछ मात्रा को शुरू से ही अन्य जिलों के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकतानुसार भण्डारित किया जाए । उक्त हेतु अंतर जिला धान स्थानांतरण हेतु अनुमानित धान भण्डारण की कार्ययोजना **परिशिष्ट–5 (1)** पर संलग्न है ।

15.8 खरीदी केन्द्र में भण्डारित समस्त धान को मार्कफेड द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2017 तक अनिवार्य रूप से उठाव कराया जावे ।

15.9 धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी ।

16. परिवहन व्यवस्था –

16.1 खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु परिवहन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जायेगा ।

16.2 खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में चावल के परिवहन दर का भुगतान धान के परिवहन दर के आधार पर ही किया जाएगा ।

16.3 धान के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन न किए जाने पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है । मार्कफेड द्वारा परिवहन नहीं कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत परिवहन दर पर समितियों द्वारा धान का परिवहन कराया जावे । इस हेतु समिति उसे धान भण्डारण व सुरक्षा मद अथवा प्रासंगिक व्यय के मद में प्रदत्त अग्रिम राशि का उपयोग परिवहन देयकों के भुगतान हेतु कर सकेगी तथा ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा समिति को की जाएगी ।

16.4 खरीदी केन्द्र में धान की बफर स्टॉक की सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा तय किया जावे । खरीदी केन्द्र में धान की मात्रा बफर स्टॉक की सीमा से ज्यादा होने पर 72 घंटे के भीतर उसका शीघ्र उठाव कराया जावे ।

16.5 खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । धान के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यकतानुसार पुराने जिले के मिलर्स को संबंधित नये जिले के उपार्जन केन्द्रों से भी कस्टम मिलिंग हेतु सीधे धान निर्धारित कार्ययोजना अनुसार प्रदाय किया जावे । खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना **परिशिष्ट–5 (2)** पर संलग्न है ।

16.6 मिलर्स को धान प्रदाय करने की प्रक्रिया कस्टम मिलिंग के निर्देश अनुसार की जाए ।

16.7 धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा ।

16.8 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका रहती है । अतः सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स राज्य की सीमा पर आवश्यक चेकिंग दल तत्काल तैनात कर विभाग को सूचित करें । चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जावे । सीमावर्ती जिलों की 68 खरीदी केन्द्रो में विशेष निगरानी रखी जावे, ऐसे खरीदी केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट–6** पर संलग्न है ।

16.9 दिनांक 1 नवंबर, 2016 से 30 अप्रैल 2017 तक अन्य राज्यों से धान का आयात आयुक्त/संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगा । सुपर फाइन किस्म का धान जो 1700 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिये आयुक्त/संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है । परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी को देना होगा ।

17. <u>हानि की प्रतिपूर्ति एवं समितियों को कमीशन/प्रासंगिक व्यय</u> –

17.1 खरीफ वर्ष 2016–17 में धान एवं मक्का के उपार्जन कार्य हेतु नियुक्त एजेंसी को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर देय प्रासंगिक व्ययों के उपरांत भी यदि हानि होती है तो हानि की प्रतिपूर्ति तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जावेगी ।

17.2 सहकारी समितियों को धान उपार्जन कार्य हेतु निम्नानुसार कमीशन एवं अन्य व्यय देय होंगे –

17.2.1 उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड अथवा मिलर्स को प्रदाय धान हेतु प्रासंगिक व्यय की राशि 9.00 रूपए प्रति क्विंटल तथा धान भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 3.00 रूपये प्रति क्विंटल के मान से देय होगी । समितियों को धान उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा।

17.2.2 राशि 5.00 रूपये प्रति क्विंटल बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मार्कफेड द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को देय होगी । अपेक्स बैंक को धान खरीदी कार्य में समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य के रूप में सुपरवाइजिंग कार्य हेतु राशि रूपये 0.50 (50 पैसे) प्रति क्विंटल मार्कफेड द्वारा प्रदाय किया जाएगा । शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 4–8/खाद्य/2014/29–2/2436 दिनांक 04.07.2016 द्वारा निर्धारित किये गये प्रशासनिक कार्यों के अनुसार अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा कार्य सुनिश्चित किया जाएगा, तभी उक्त राशि मार्कफेड द्वारा प्रदाय की जाएगी ।

17.2.3 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी ।

17.2.4 मार्कफेड को मिलर्स को अरवा/उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि, बारदाना अवक्षयण के संबंध में राशि, समितियों से धान उठाव पर मिलर्स को लोडिंग–अनलोडिंग कटौती नहीं करने पर आये व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।

18. <u>कस्टम मिलिंग</u> –

18.1 खरीफ विपणन मौसम 2016–17 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा । धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रकिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।

18.2 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की पीडीएस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।

19. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –

19.1 धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।

19.2 धान एवं मक्का उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800–233–3663 में दर्ज कराया जावे । कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में संचालित किया जाएगा । कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जावे । प्राप्त शिकायत का निराकरण 3 दिवस के भीतर में उपार्जन एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर किया जावे ।

19.3 जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये । इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा । जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में पदस्थ कर्मचारियों तथा दूरभाष नंबरों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को शीघ्र उपलब्ध कराई जावे । इसके साथ ही धान एवं मक्का के उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी नियमित रूप से विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जावे।

19.4 उपार्जित धान के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानें एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र अथवा एक से अधिक उपार्जन केन्द्रों हेतु एक नोडल अधिकारी कलेक्टर द्वारा नियुक्ति किया जावे, जो उक्त समस्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सूचना संबंधितों को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

19.5 खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में विगत 03 वर्षों में औसतन 4 प्रतिशत कमी वाले 113 में से 106 खरीदी केन्द्रों में कमी का प्रतिशत 1 प्रतिशत से कम रहा है, अतः इन खरीदी केन्द्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समिति या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी में से किसी एक से खरीदी का कार्य कराने हेतु निर्णय लिये जाने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है, इन 106 खरीदी केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट–7** पर संलग्न है ।

खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में 1 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले मुंगेली जिले के पथरिया, गंगद्वारी, गुरबाईनडबरी, लौदा, बदरा, बुंदेली, पंडरभट्ठा के खरीदी केन्द्रों, बलौदाबाजार जिले के गोपालपुर, भटगांव खरीदी केन्द्रों, रायगढ़ जिले के बरदुला खरीदी केन्द्र में कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी के माध्यम से ही खरीदी किया जावे ।

19.6 धान उपार्जन, संग्रहण एवं इसके निराकरण के प्रत्येक स्तर पर संधारित रजिस्टरों एवं अन्य

अभिलेखों के प्रारूप में एकरूपता बनाने हेतु मार्कफेड द्वारा इनका आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण कराकर दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 तक धान उपार्जन केन्द्र, धान संग्रहण केन्द्र एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराया जावे ।

19.7 समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी। धान एवं मक्का के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से सीधे संपर्क किया जा सकता है ।

20. **सुरक्षा व्यवस्था** –

धान उपार्जन के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये । पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा ।

21. **बीमा** –

21.1 प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि दुर्घटना एवं चोरी से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाये ।

21.2 यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी।

21.3 धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक उपलब्ध कराई जाये ।

22. **खरीदी केन्द्रों का मिलान** –

खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मार्कफेड द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण की जाए ।

23. **मक्का उपार्जन** –

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित मक्का का टीपीडीएस में वितरण नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विक्रय खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण किया जावे । स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन

लिमिटेड द्वारा खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण करने पर हानि प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राज्य शासन द्वारा किया जावे ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय–सीमा में पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

Richa

(ऋचा शर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
रायपुर, दिनांक 30 सितंबर, 2016

पृ.क्रमांक एफ 4–5/खाद्य/2016/29/4198

प्रतिलिपि –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, नया रायपुर को कंडिका 20 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर कंडिका 19.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नया रायपुर की ओर कंडिका 13.2 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
13. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नया रायपुर ।
15. प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर ।
16. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर ।
17. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
18. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर ।
19. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
20. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, नया रायपुर ।
21. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर ।
22. नियंत्रक, नाप तौल कार्यालय, नया रायपुर को बिन्दु कमांक 9.6 के संदर्भ में परिपालन हेतु ।
23. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर ।

24. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर । उपरोक्त हेतु आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
25. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर ।
26. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
27. समस्त जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. छत्तीसगढ़ ।
28. समस्त जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ़ ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट - 1

No.8-4/2016-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 11th August, 2016

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.........................;
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2016-17.

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2016-17.

It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2016-17 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2016-17 are also enclosed.

Encl: as above.

Yours faithfully,

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23383915

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/JC (S&R)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. DD (S)/DD (QC)/AD (S)/AD (QC).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

(Neelam Kalra)
Technical Officer(S&R)

क्रमांक ....7461.... दिनांक 22-8-16 2015

क्रमांक ....2641.... विशेष सचिव/खाद्य/2015 दिनांक 23/8/201

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY (KHARIF MARKETING SEASON 2016-2017)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	 1.0 1.0
2.	Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains	5.0*
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996, IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: Nos.2813-1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******

11/8/2016

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE (KHARIF MARKETING SEASON 2016-2017)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act,2006/Rules prescribed thereunder.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%) Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

\# Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

11/08/2016

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.
5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

11/02/2016

UNIFORM SPECIFICATION FOR MAIZE
(KHARIF MARKETING SEASON 2016-2017)

The maize shall be the dried and matured grain of *Zea mays*. It shall have uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act,2006/Rules prescribed thereunder.

Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No.	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	2.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged, discoloured and touched grains	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	3.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813- 1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra Seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not be treated as shrivelled and immature grains.

******

11/08/2016

UNIFORM SPECIFICATION FOR RAGI
(KHARIF MARKETING SEASON 2016-2017)

The Ragi shall be dried and matured grains of *Eleusine coracana*. It shall have uniform size and shape. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act,2006/Rules prescribed thereunder.

Ragi shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	1.0
3.	Damaged grains	1.0
4.	Slightly damaged grains	2.0
5.	Moisture content	12.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N. B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813-1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akara seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. Kernels with husk will not be treated as unsound grains. During physical analysis the husk will be removed and treated as organic foreign matter.

*****

11/08/2016

परिशिष्ट-2

मण्डी प्रांगणों की सूची

कमांक	जिले का नाम	धान खरीदी हेतु प्रस्तावित मंडी का नाम	निकटस्थ उपार्जन केन्द्र का नाम
1	राजनांदगांव	डोगरगढ	अछोली
2	राजनांदगांव	खैरागढ	अमलीपारा
3	बिलासपुर	बिलासपुर	मोपका
4	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा
5	धमतरी	धमतरी	धमतरी
6	दुर्ग	दुर्ग	जेवरासिरसा
7	राजनांदगांव	राजनांदगांव	ढाबा
8	रायगढ़	रायगढ़ (पटेलपाली)	पटेलपाली
9	रायगढ़	सारंगढ	सहसपुर
10	रायगढ़	खरसिया	खरसिया
11	जशपुरनगर	जशपुरनगर	गम्हरिया
12	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोडा
13	बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर
14	कांकेर	पखांजूर	पखांजूर
15	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर
16	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	मेण्ड्राकला
17	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	अकलतरा

उप मंडी प्रांगणों की सूची

कमांक	जिले का नाम	धान खरीदी हेतु प्रस्तावित उप मंडी का नाम	निकटस्थ उपार्जन केन्द्र का नाम
1	रायपुर	तुलसी (फल सब्जी)	तुलसी
2	जगदलपुर	मूली	मूली
3	जगदलपुर	करपावण्ड	करपावण्ड
4	धमतरी	बेलोरा	मोंहदी
5	धमतरी	बोराई	10 किमी की परिधि में कोई भी उपार्जन केन्द्र नही है।
6	धमतरी	रिसगॉव	
7	महासमुंद	तेंदूकोना	तेंदूकोना
8	महासमुंद	कोमाखान	कोमाखान
9	महासमुंद	सांकरा	सांकरा
10	बलौदा बाजार	पनगांव	बलौदाबाजार
11	धमतरी	बेलरगांव	बेलरगांव
12	रायपुर	धमधा	धमधा
13	दुर्ग	अहिवारा	अहिवारा
14	कोण्डागांव	हीरापुर	10 किमी की परिधि में कोई भी उपार्जन केन्द्र नही है।
15	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	चौकी
16	कांकेर	दुधावा	मुसूरकुट्टा
17	बिलासपुर	बरतोरी	बरतोरी
18	गरियाबंद	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर
19	अम्बिकापुर	सीतापुर	सीतापुर
20	कोण्डागांव	माकड़ी	दबई
21	दुर्ग	पाटन	पाटन
22	अम्बिकापुर	रधुनाथपुर	रघुनाथपुर
23	अम्बिकापुर	ककनी	डूमरडीह
24	मुंगेली	सकरी	सकरी

परिशिष्ट– 3

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की अनुमानित कार्ययोजना

क्रं.	जिला	धान उपार्जन की अनुमानित मात्रा (टन में)
1	बस्तर	77000
2	बीजापुर	24000
3	दन्तेवाड़ा	6500
4	कांकेर	170000
5	कोंडागांव	42000
6	नारायणपुर	6500
7	सुकमा	18000
8	बिलासपुर	370000
9	जांजगीरचाम्पा	645000
10	कोरबा	83000
11	मुंगेली	255000
12	रायगढ़	415000
13	बालोद	400000
14	बेमेतरा	400000
15	दुर्ग	300000
16	कवर्धा	210000
17	राजनांदगांव	460000
18	बलौदाबाजार	560000
19	धमतरी	365000
20	गरियाबंद	220000
21	महासमुंद	610000
22	रायपुर	455000
23	बलरामपुर	90000
24	जशपुर	60000
25	कोरिया	50000
26	सरगुजा	100000
27	सुरजपूर	108000
कुल योग		**6500000**

यरिशिष्ट-4

No. 15 (8)/ 2004-Py.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 10th October, 2012

To,

Secretary,
Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department,
Government of Chhattisgarh,
Dau Kalyan singh Bhavan,
Raipur

Subject: Permission to use old gunny bags for procurement of paddy and delivery of CMR during KMS 201213

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F 4-21/Khadya/2012/29/4526 dated 27.09.2012 on the above noted subject and to state the following :-

(i) Once used bags left over from KMS 2011-12 & 2012-13 and PDS released bags can be used for purchase of paddy during KMS 2012-13 in 50-50 ratio. The old bags used for procurement of paddy should conform to the specification laid down vide this Department's letter of even number dated 15.02.2006. The specification laid down are reiterated as under :-

"Gunnies in question should be free from any mildew/fungal growth, cuts, holes or tears, sunfading, etc; grains should not bleed out of the bags and the seams should be intact. Bags should be intact and not be repaired ones. The weight of the 50 kg bags should not be less than 500 gms".

(ii) The responsibility to ensure that the once used bags used for procurement of paddy conform to the specifications laid down by Government of India will be that of the State Government. Any loss due to damage to paddy/resultant rice due to storage of paddy in once used gunny bags will be borne by the State Government. In no case specification of rice to be delivered by millers will be relaxed if the quality of rice is found to be below specifications due to use of once used gunny bags.

(iii) Delivery of milled rice would be permitted only in new gunny bags of KMS 2012-13 in which paddy has been procured. The bags in which rice is accepted should bear the marking of the relevant marketing seasons i,e, KMS 2012-13.

2. State Government will maintain separate accounts of old gunny bag used and such details will be submitted within a period of six months to Government of India. State Government will send a separate proposal to Government of India for issuing cost sheet for paddy (resultant CMR) procured in such old bags.

Yours faithfully,

(K.C. Yadav)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23384448

Copy to : Chairman & Managing Director, Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi- 110001.
2. FC Accounts Section, Department of Food & Public Distribution.

परिशिष्ट– 5 (1)

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित धान की खरीदी केन्द्र से संग्रहण केन्द्र को अंतर जिला धान स्थानांतरण एवं भण्डारण हेतु अनुमानित कार्ययोजना

(मात्रा मे. टन में)

क्र.	धान भेजने वाले जिले का नाम	धान प्राप्त करने वाले संलग्न जिले का नाम	संग्रहण केन्द्र का नाम	स्थानांतरण हेतु धान की अनुमानित मात्रा
1	**बीजापुर**	जगदलपुर	बिरिंगपाल	2500
		दंतेवाड़ा	गीदम	8500
योग				**11000**
2	**जांजगीर–चांपा**	कोरबा	डोगरीभाठा	20000
			कटघोरा	20000
योग				**40000**
3	**मुंगेली**	बिलासपुर	बिल्हा	20000
			भरनी	20000
योग				**40000**
4	**बालोद**	धमतरी	जवरगांव	40000
			भोयना	30000
			देवरी	30000
योग				**100000**
5	**बेमेतरा**	दुर्ग	सेलूद	80000
			अरसनारा, बाशिन	60000
			ठेंगाभाठ	60000
योग				**200000**
6	**कवर्धा**	रायपुर	तिल्दा	80000
योग				**80000**
7	**बलौदाबाजार**	रायपुर	तिल्दा	70000
			बकतरा	50000
			जौंदा	30000
		धमतरी	भांठागांव	60000
योग				**210000**
8	**गरियाबंद**	रायपुर	जौंदा	30000
योग				**30000**
9	**रायगढ़**	जशपुर	पत्थलगांव	20000
योग				**20000**
महायोग				**731000**

परिशिष्ट– 5 (2)

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जन केन्द्रों से अन्य जिले के मिलरों द्वारा सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना

(मात्रा मे. टन में)

क्रं.	धान प्रदाय करने वाले जिले का नाम	समितियों से सीधे उठाव करने वाले संलग्न जिले का नाम	उठाव हेतु अनुमानित मात्रा
1	**बीजापुर**	बस्तर	13000
2	**मुंगेली**	बिलासपुर	20000
3	**जांजगीर–चांपा**	कोरबा	20000
4	**रायगढ़**	जशपुर	20000
5	**बालोद**	धमतरी	100000
6	**बेमेतरा**	दुर्ग	75000
7	**बलौदाबाजार**	रायपुर	50000
8	**गरियाबंद**	धमतरी	30000
		रायपुर	30000
योग			**358000**

परिशिष्ट–

राज्य के सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों की सूची

क्रं	जिला का नाम	उपार्जन केंद्र का नाम
1	बिलासपुर	लरकेनी
2		लालपुर
3		सिवनी
4	रायगढ़	जामगांव
5		लारा
6		अमलीपाली
7		रेंगालपाली
8		डुलोपाली
9		सरिया
10		धौराभांठा
11		झिकीपाली
12		बडे नावापारा
13		लुकापारा
14		साकरा
15		लिबरा
16		लोईग
17	राजनांदगांव	साल्हेवारा
18		कल्लू बंजारी
19		जयसिंह टोला
20		चिल्हाटी
21		नचनिया
22		रामपुर
23		बकरकटटा
24		बोरतलाव
25		सड़क छिरछारी (खोमा)
26	गरियाबंद	झाखरपारा
27		ढोर्रा
28		रसेला
29		तेतलखुटी
30		दुल्ला
31		देवभोग
32		उरमाल
33	महासमुंद	अकोरी
34		सिरबोडा
35		बलौदा
36		पटपरपाली
37		खेमडा
38		गढफुलझर
39		चिंवराकुंटा
40		देवरी
41		नर्रा
42		बेल्डीह
43		जेराभरण
44		सल्डीह
45		परसवानी
46		बुंदेली
47		बाघामुड़ा

JS Fwd

48	महासमुंद	कसेकेरा
49		कछारडीह
50		मुनगाशेर
51		कोमाखान
52		सुखीपाली
53		टोसगांव
54		जंगलबेड़ा
55		सेमलिया
56	बलरामपुर	कामेश्वरनगर
57		चान्दो
58		भंवरमाल
59		रामचन्द्रपुर
60		बसंतपुर
61		वाड्फनगर
62	जशपुर	गम्हरीया
63		कोनपारा
64		तपकरा
65		दुलदुला
66	कोरिया	चैनपुर
67		माडीसरई
68	सुरजपूर	नवगई

JSfm2

परिशिष्ट - 7

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक (पिछले 3 वर्षो) तक उपार्जित धान में औसतन 4% से ज्यादा कमी प्रतिवेदित करने वाले उपार्जन केन्द्र की खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 की जानकारी

क्र	जिला	समिति	उपार्जन केन्द्र	खरीदी की मात्रा (qtl	कमी की मात्रा (qtl	कमी का प्रतिशत
1	कांकेर	दुधावा	मुसुरपुट्टा	5763.6	0	0
2	बिलासपुर	जयरामनगर	जयरामनगर	32911.4	0	0
3	बिलासपुर	जयरामनगर	हरदीडीह	12517.6	0	0
4	बिलासपुर	भरारी	भरारी	25851.8	0	0
5	बिलासपुर	मरवाही	मरवाही	4693.6	0	0
6	बिलासपुर	मल्हार	मल्हार	31747.6	0	0
7	जांजगीर चाम्पा	आमगांव	दतौद	16688.2	0	0
8	जांजगीर चाम्पा	कचंदा	कचंदा	58178.6	0	0
9	जांजगीर चाम्पा	कड़ारी	कड़ारी	33088.8	0	0
10	जांजगीर चाम्पा	कैथा	झरप	10956.4	0	0
11	जांजगीर चाम्पा	चरौदा	बडेपडरमुड़ा	13058.4	0	0
12	जांजगीर चाम्पा	छपोरा	छपोरा	43058.4	0	0
13	जांजगीर चाम्पा	जैजैपुर	जैजैपुर	31415.2	0	0
14	जांजगीर चाम्पा	जेवरा	जेवरा	40315.8	0	0
15	जांजगीर चाम्पा	दर्राभांठा	दर्राभांठा	32386.4	0	0
16	जांजगीर चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़	55945.8	0	0
17	जांजगीर चाम्पा	पोता	सुलौनी	25044	0	0
18	कोरबा	सुखरीकला	उमरेली	28746.8	0	0
19	मुंगेली	जरहागॉव	दशरंगपुर	28310.2	0	0
20	मुंगेली	टेढ़ाधौरा	दुल्लापुर	17157.4	0	0
21	मुंगेली	टेढ़ाधौरा	पौनी	16197.6	0	0
22	मुंगेली	दाउकापा	दाउकापा	31589.6	0	0
23	मुंगेली	बदरा	ककेड़ी	14382.4	0	0
24	मुंगेली	भठगॉव	भटगॉव	33532.4	0	0
25	मुंगेली	भठलीकला	भठलीकला	33017.4	0	0
26	मुंगेली	मनोहरपुर	तेलीमोहतरा	28883.2	0	0
27	मुंगेली	लालाकापा	लालाकापा	26184.4	0	0
28	रायगढ़	केशला 331	गढ़उमरिया	25345.6	0	0
29	रायगढ़	कोंकडीतराई	कोकडीतराई	19012	0	0
30	रायगढ़	कोडतराई	कछार	29431	0	0
31	रायगढ़	कोडतराई	कोंडतराइ	40513	0	0
32	रायगढ़	जतरी	छिछोर उमरिया	29910.8	0	0
33	रायगढ़	जतरी	जतरी	26586.4	0	0
34	रायगढ़	तरकेला	तरकेला	30932.4	0	0
35	रायगढ़	तरकेला	पटेलपाली	10143.6	0	0
36	रायगढ़	तारापुर	कोतरा	42960.4	0	0
37	रायगढ़	हालाहली	गोड़गोधरी	21525.6	0	0
38	कवर्धा	पौनी	खैरझिटी	22387.2	0	0
39	कवर्धा	पौनी	पौनी	36726	0	0
40	राजनांदगांव	मोहारा	मोहारा	23484.4	0	0
41	गरियाबंद	उरमाल	उरमाल	10663.2	0	0
42	गरियाबंद	काण्डेकेला	भेजीपदर	13755.2	0	0
43	गरियाबंद	झाखरपारा	झाखरपारा	1113.2	0	0
44	गरियाबंद	ढोर्रा (मैनपुर)	ढोर्रा	3677.6	0	0
45	गरियाबंद	धवलपुर	बिन्द्रानवागढ़	4818	0	0
46	गरियाबंद	निष्ठीगुड़ा	निष्ठीगुड़ा	0	0	0
47	गरियाबंद	मैनपुर	जिड़ार	4319.6	0.05	0
48	गरियाबंद	मैनपुर	मैनपुर	20804.4	0.1	0
49	गरियाबंद	लाटापारा	लाटापारा	2963.6	0	0
50	महासमुंद	अकोरी	अकोरी	48348.4	0	0
51	महासमुंद	केजुवा	केजुवा	33068	0	0
52	महासमुंद	केना	केना	35993.6	0	0
53	महासमुंद	खरोरा	गौरटेक	43910.8	0	0
54	महासमुंद	खरोरा	सिंघनपुर	38075.6	0	0
55	महासमुंद	गढफुलझर	गढफुलझर	45475.2	0	0
56	महासमुंद	तोरेसिंहा	जगलबेडा	39322	0	0

JSFood

57	महासमुंद	नूनपानी	अमरकोट	38207.6	0	0
58	महासमुंद	बडेसाजापाली	बडेसाजापाली	65761.2	0	0
59	महासमुंद	बावनकेरा	बावनकेरा	52566.2	0	0
60	महासमुंद	रसोडा	धुमाभांठा	26088.2	0	0
61	महासमुंद	रसोडा	रसोडा	40887.4	0	0
62	बलरामपुर	चान्दों (कुसमी)	चान्दो	20103.2	0	0
63	बलरामपुर	जमडी	जमडी	38056.6	0	0
64	बलरामपुर	बरतीकला	बरतीकला	29800	0	0
65	बलरामपुर	विरेन्द्रनगर	डिन्डो	16752.6	0	0
66	जशपुर	कोतबा	कोतबा	65707.2	0	0
67	कोरिया	गडवार	कंजिया	1008.4	0	0
68	कोरिया	जनकपुर	जनकपुर	5800	0	0
69	सुरजपूर	केवरा	केवरा	33420.4	0	0
70	सूरजपूर	सूरजपुर	मानी	22738	0	0
71	मुंगेली	खपरी कला	खपरी कला	27053.2	1.5	0.01
72	मुंगेली	तरवरपुर	तरवरपुर	30233.2	4.18	0.01
73	मुंगेली	खपरी कला	लगरा	44379	6.8	0.02
74	मुंगेली	जेवरा	पूंछेली	20524.8	3.6	0.02
75	मुंगेली	पीपर लोड	पीपरलोड	17634.8	4.2	0.02
76	मुंगेली	लोरमी	लोरमी	53579.6	11.76	0.02
77	मुंगेली	सिंघनपुरी	भालुखोंदरा	19055.6	4.4	0.02
78	मुंगेली	सिलदहा	पत्थरगढी	45536	9.07	0.02
79	बेमेतरा	छिरहा	छिरहा	55355.2	12.75	0.02
80	गरियाबंद	शोभा	बम्हनीझोला	1932.4	0.39	0.02
81	मुंगेली	चकरभाठा	चकरभाठा	34737	9.58	0.03
82	मुंगेली	सिंघनपुरी	सिंघनपुरी	31466.6	9.65	0.03
83	मुंगेली	छटन	सेमरकोना	19548.2	8.7	0.04
84	मुंगेली	सिलदहा	सिलदहा	36890.8	15.78	0.04
85	मुंगेली	पीपर लोड	हिंछापुर	26248.8	13.4	0.05
86	मुंगेली	सिगांरपुर	सिगांपुर	33166.6	18.12	0.05
87	बेमेतरा	कुसमी	खैरझिटी	24678.8	11.47	0.05
88	बालोद	माहुद	बरबसपुर	31123.8	19.3	0.06
89	मुंगेली	अखरार	अखरार	27394	17.94	0.07
90	मुंगेली	फंदवानी	झगरहटा	16804.4	15.15	0.09
91	मुंगेली	अखरार	डिडौरी	30658.8	36.29	0.12
92	मुंगेली	जेवरा	अमोरा	18444.4	22.65	0.12
93	मुंगेली	लौदा	केवटाडीह	5300.4	6.92	0.13
94	मुंगेली	घरदेयी	धरदेयी	37834.2	70.33	0.19
95	मुंगेली	घरदेयी	पडियाईन	38842.8	78.23	0.2
96	मुंगेली	लौदा	गाईद्री	20271.8	49.42	0.24
97	बलौदाबाजार	मटिया	नरधा	35334.8	113.75	0.32
98	सुरजपूर	सोनपुर	सोनपुर	44474	160	0.36
99	बलौदाबाजार	दामाखेडा	दामाखेडा	55034	201.98	0.37
100	बलौदाबाजार	दामाखेडा	मनोहरा	27499.2	102.69	0.37
101	बलौदाबाजार	रावन	रावन	61818.8	240.8	0.39
102	बलौदाबाजार	दामाखेडा	मोहभट्ठा	20673.6	92.91	0.45
103	बलरामपुर	राजपुर	राजपुर	34345.2	193.59	0.56
104	बलौदाबाजार	गाताडीह	मनपसार	64635.6	409.22	0.63
105	बलौदाबाजार	गाताडीह	दुरूग	20619.6	147.93	0.72
106	बलौदाबाजार	भटगांव	धनगांव	23361.4	210.13	0.9

JSFood